भारत सरकार
नागरिक उड्डयन मंत्रालय

<u>सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी</u>

आवेदन संख्या: एवी.20015/012/2009-एडी

आवेदक का नाम: निदेशक जनरल, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

पता: 13-सी, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।

निर्णय:

संचालन समिति ने 12.04.2010 को आयोजित अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया में सार्वजनिक उपयोग हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया। संचालन समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कसया में सार्वजनिक उपयोग श्रेणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय परिचालन हेतु ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान करती है, बशर्ते कि उसमें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सभी अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध हों तथा यह रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), गृह मंत्रालय की आवश्यकताओं, राजस्व विभाग तथा अन्य विनियामक एजेंसियों, यदि कोई हों, द्वारा निर्धारित शर्तों तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन हो।

<u>**'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की शर्तें**</u>

(i) हवाई अड्डे पर एटीएस (एटीएस) सेवाएँ प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को हवाई अड्डे के चालू किए जाने से पूर्व रक्षा मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा सकता है।

(ii) चयनित प्रवर्तक को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होंगी।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के विकास हेतु किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए एक समय-सीमा/रोडमैप इंगित कर सकती है तथा 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर इसकी सूचना केंद्र सरकार को देगी।

(ओमा नंद)
भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाष-24640214

दिनांक: 21.09.2010